JALAUN POLICE

दिनांक- 06.04.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद 04 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 1,12,000/- रुपये(एक लाख बारह हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्तगण 1. गौरीशंकर पुत्र पुनू 2. रविन्द्र पुत्र महेश 3. धर्मेन्द्र बरार पुत्र गौरीशंकर 4. गरीबदास पुत्र सुखई नि0गण ग्राम चन्दुर्रा कोतवाली कोंच जनपद जालौन द्वारा वादी के पिता की दुकान में घुसकर वादी के पिता व भाई के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देना, जिससे वादी के पिता व भाई का गम्भीर रूप से जल जाना व उपचार के दौरान वादी के पिता व भाई की मृत्यु हो जाने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 26.03.2018 को कोतवाली कोंच पर मु0अ0सं0 105/18(वाद संख्या 132/18) धारा 147/302/149/307/427/436 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 13.05.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.04.2026 को मा0 न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण गौरीशंकर, रविन्द्र, धर्मेन्द्र व गरीबदास उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 1,12,000/- रूपये(एक लाख बारह हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।